

# उन्नति / प्रगति EWS / LIG

## EWS-LIG DLF GARDEN CITY LUCKNOW

Lucknow-Raebareli Rashtriya Rajmarg, Gram Purseni,  
Tehsil Mohanlalganj, Lucknow

बुकिंग 17 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक चालू है!  
जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 है!

## रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट

पंचम संस्करण पंजीकरण पुस्तिका

डी.एल.एफ. लि. द्वारा इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना, रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ में निर्मित उन्नति, ई.डबल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) एवं प्रगति, एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के प्रार्थियों हेतु भवनों की योजना।

इस बुकिंग फार्म में वर्णित सभी विषय वस्तु, नियम व शर्तें भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहाँ तक संशोधन करना समीचीन होगा। और यदि आवश्यक हुआ तो भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत सीपित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

### 1. योजना का विवरण

योजना – लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना में (ई.डबल्यू.एस.-एल.आई.जी., डी.एल.एफ., गार्डन सिटी लखनऊ) विकासकर्ता कम्पनी – डी.एल.एफ. लिमिटेड

### 2. भवनों के नाम

उन्नति – ई.डबल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)

प्रगति – एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

### 3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास लखनऊ में, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद, इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन, नहीं होना चाहिये तथा 30प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक को ई.डबल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय क्रमशः ₹3,00,000/- व ₹6,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। (तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)
- आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना होगा।

\*आवंटन के बाद आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

#### 4. भवनों का विवरण

क्रमांक	वर्ग	निर्मित क्षेत्र (वर्गमी.)	कारपेट क्षेत्र (वर्गमी.)	भवनों की संख्या	मूल्य (रुपयों में)	पंजीकरण राशि
1	ई डबलू एस	25.022 से 25.815	20.303	25	4,58,634.00 से 4,73,298.00	₹35,000/-
2	एल आई जी	36.534 से 37.536	30.978	75	11,43,254.00 से 11,74,862.00	₹45,000/-

डिस्क्लेमर: फ्लैट की कीमत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पे पारित आदेशों के आधार पर तय की गई है। भवनों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट:-

- उपरोक्त मूल्य का निर्धारण शासनादेश 3267/8-1-16 विविध/10 के मानकों के आधार पर किया गया है। भविष्य में हडको/केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट के मानक पुनरिक्षित करने पर यथावत लागू रहेंगे।
- भूतल पर भवनों के मूल्य का 3%, प्रथम तल पर 2% व द्वितीय तल पर 1% पी.एल.सी. के रूप में उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त देय होगा।
- सभी देय शुल्क, कर जैसे जी.एस.टी. आदि का भुगतान स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा जो कि ऊपर तालिका में दर्शायी गयी राशि के अतिरिक्त देय होगा।
- आवंटी द्वारा ₹3600 एक वर्ष के अनुरक्षण शुल्क के रूप में दिए जायेंगे, जो कि ऊपर तालिका में दर्शायी गयी राशि के अतिरिक्त देय होंगे।
- उन्नति ई.डबलू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों में क्रमशः 25.022 से 25.815 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया (20.303 वर्गमी. कारपेट एरिया) है। भवन में एक लिविंग/बेडरूम हेतु कक्ष, टॉयलेट, बालकनी व किचन स्पेस है तथा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के भवनों में क्रमशः 36.534 से 37.536 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया (30.978 वर्गमी. कारपेट एरिया) है, व भवन में एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, टॉयलेट, बालकनी व किचन स्पेस है।
- फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटी लॉटरी में निकले फ्लैट को लेने के लिए बाध्य होगा।
- फ्लैट का आवंटन किसी भी तल पर किया जा सकता है तथा आवंटी आवंटित तल पर दिए गए फ्लैट को लेने के लिए बाध्य होगा, उसी तल के अनुसार आवंटी को पी.एल.सी. का भुगतान करना होगा।
- ई.डबलू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के लिए क्रमशः 25.022 से 25.815 वर्ग मीटर (20.303 वर्गमी. कारपेट एरिया)/ 36.534 से 37.536 वर्ग मीटर (30.978 वर्गमी. कारपेट एरिया) के भवन प्रमोटर द्वारा निर्मित किए गये हैं। आवंटी लॉटरी में निकाले गए साइज को लेने के लिए बाध्य होगा तथा इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

9. आवंटनी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि समय से (60 दिन की अवधि में) जमा करने पर विक्रय मूल्य पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी, परन्तु आवंटनी द्वारा धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जाएगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।
10. आवंटन के पश्चात वांछित देय धनराशि 60 दिन में जमा करनी होगी अन्यथा प्रवर्तनशील भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार निर्धारित ब्याज दर से ब्याज देय होगा।
11. उपरोक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
12. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटनी द्वारा अलग से देय होगा।
13. जिस स्थिति में आवंटनी द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अधिनियमों के अनुसार निबंधन का निष्पादन अनिवार्य है उस स्थिति में आवंटनी को विकासकर्ता के निर्देशों का पालन करना होगा एवं आवंटनी निबंधन का निष्पादन व पंजीकरण करवाने के लिए बाध्य होगा।
14. आवंटनी द्वारा निबंधन में दी गई शर्तों का कठोरता से पालन किया जायेगा। निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा देय होगा।
15. विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।
16. आवंटनी टाइम लिंकड भुगतान प्लान के अनुसार भी भुगतान कर सकता है। उस दशा में भुगतान स्थिति निम्न प्रकार होगी:

भवनों के प्रकार	पंजीकरण राशि	60 दिनों के भीतर	120 दिनों के भीतर	180 दिनों के भीतर
ई.डबल्यू.एस.	₹35,000/-	भवनों के मूल्य का 30%	भवनों के मूल्य का 30%	भवनों के मूल्य की शेष राशि - पहले की गई राशि की मांग + पी. एल. सी.
एल.आई.जी.	₹45,000/-	भवनों के मूल्य का 30%	भवनों के मूल्य का 30%	भवनों के मूल्य की शेष राशि - पहले की गई राशि की मांग + पी. एल. सी.

\*स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त देय होंगे

\*जीएसटी लागू देय होगा

## 5. आवंटी / आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

## 6. आरक्षण

- 6.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- 6.2 प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का घोषणा-पत्र देना होगा।
- 6.3 उन्नति (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा प्रगति (एल.आई.जी.) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 6.4 सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत में से ही आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा। आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा।
- 6.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- 6.6 आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिर्वृत सुरक्षा सैनिक है।
- 6.8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।
- 6.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- 6.10 बिन्दु 6.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 6.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होगा।
- 6.12 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होंगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जाएंगे।

## 7. आवंटन

- 7.1 भवनों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1/2418/आठ-1-14-80 विविध/10 दिनांक 26.08.2014 द्वारा गठित समिति की निगरानी में संपन्न की जायेगी।
- 7.2 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते है उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।
- 7.3 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र रद्द किये जायेंगे।
- 7.4 आवंटन द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटन को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 7.5 आवंटन फ्लैट के परिवर्तन का अधिकार 30 प्र० आवास एवं विकास परिषद को होगा।

## 8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

- 8.1 असफल आवेदक का आवंटन न होने की दशा में 45 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि व आवंटन द्वारा भुगतान किये गये धनराशि का 20% + जी.एस.टी. कर की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जो कि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।
- 8.3 यदि कोई पंजीकृत आवेदक प्रार्थना चयन हेतु लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- 8.4 यदि कोई पंजीकृत आवेदक लॉटरी ड्रॉ में सफल होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेश पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20% + जी.एस.टी. प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50% + जी.एस.टी. प्रतिशत कटौती की जाएगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी।

## 9. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक/आवंटी द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

## 10. फ्लैट का कब्जा

- 10.1 फ्लैट के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान एवं विक्रय विलेख के निष्पादन के उपरान्त ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।
- 10.2 भवनों का आवंटन लीजहोल्ड के आधार पर किया जाएगा तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात् यह फ्री होल्ड माना जायेगा, जिसके सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा फ्री-होल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश 1 माह के अन्दर जारी किया जायेगा।
- 10.3 अनुबन्ध, विक्रय विलेख आदि के निष्पादन हेतु स्टेम्प पेपर, पंजीकरण शुल्क व अन्य सभी व्ययों का भुगतान आवंटी स्वयं करेगा।
- 10.4 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क व होल्डिंग चार्जज ₹2 प्रति स्क्वायर फुट प्रति माह देना होगा। इस दशा में विकासकर्ता के पास आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा व विकासकर्ता पंजीकरण राशि व कर घटाकर शेष राशि आवंटी को बिना ब्याज के वापस लौटा देगा।

## 11. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अनुरक्षण शुल्क

आवंटी को प्रमोटर द्वारा बनवाई गई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा निर्धारित की गई दिशा-निर्देशों का पालन करना और अनुरक्षण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

आवंटी द्वारा " ब्याज मुक्त अनुरक्षण सुरक्षा शुल्क" के रूप में ₹ 6000/- का एक मुश्त भुगतान अंतिम किश्त के भुगतान के समय उपर्युक्त दी गई राशि के अतिरिक्त देय होगा।

## 12. अन्य सामान्य नियम व शर्तें:

- 12.1 आवंटन के पश्चात् आवास एवं विकास परिषद में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 12.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।
- 12.3 एक से अधिक ई.डबल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का एकीकरण अथवा उन्हे जोड़कर एक इकाई/भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा।
- 12.4 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

### 13. पंजीकरण प्रक्रिया

- 13.1 पंजीकरण हेतु 'पंजीकरण पुस्तिका' ₹300.00 (जी.एस.टी. सहित) नगद भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में चयनित बैंक तथा डी.एल.एफ. लि0 माई पैड, बी-2 टावर, द्वितीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ कार्यालय से दिनांक 17 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक प्राप्त की जा सकती है।
- 13.2 पंजीकरण पुस्तिका डी.एल.एफ. लिमिटेड की वेबसाइट [www.ews-ligdlfgardencitylucknow.dlf.in](http://www.ews-ligdlfgardencitylucknow.dlf.in) से डाउनलोड करके भी प्राप्त की जा सकती है ऐसी दशा में पंजीकरण धनराशि के साथ पंजीकरण पुस्तिका हेतु ₹300.00 (जी.एस.टी. सहित "डीडी या कॅश") का अलग से भुगतान करना होगा।
- 13.3 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 8 जुलाई 2024 होगी।
- 13.4 पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का ₹10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 13.5 पूर्ण रूप भरे आवेदन-पत्र बैंक की निर्दिष्ट बैंक शाखाओं तथा डी.एल.एफ. लि0 माई पैड, बी-2 टावर, द्वितीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ कार्यालय में अन्तिम तिथि से पूर्व कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते हैं।
- 13.6 पंजीकरण धनराशि का डीडी "डीएलएफ लिमिटेड – रिटेल प्रोजेक्ट" के पक्ष में तैयार किया जाए। (DD to be drawn in favour of "DLF Limited – Retail Project")

### 14. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेश:

- 14.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- 14.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।
- 14.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र दोनो आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।
- 14.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकों की पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 14.5 आवेदक द्वारा धनराशि जमा कराते समय बैंक डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।

### 15. पार्किंग

योजना में पार्किंग सीमित संख्या में उपलब्ध है जिसका आवंटन विकासकर्ता द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर किया जायेगा।

## 16. जाँच सूची

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।

1. आवेदन-पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है?
2. आवेदन-पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर है?
3. पंजीकरण धनराशि का डी.डी./पे ऑर्डर सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है?
4. आवेदक की आय के साक्ष्य कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है?
5. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है?
6. शपथ-पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी द्वारा सत्यापित है?
7. आवेदक को उक्त श्रेणी में होने का तहसीलदार द्वारा प्रदत्त घोषणा पत्र संलग्न करना होगा?

आवेदक का  
नवीनतम फोटो  
अनिवार्य है।

## घोषणा – पत्र

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भाँति मुझसे वसूल कर लें।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

साक्षी

आवेदक के हस्ताक्षर

---

---

---

---

**उन्नति ई.डबल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)  
एवं प्रगति (एल.आई.जी. वर्ग) भवनों हेतु आवेदन पत्र**

फार्म संख्या

1. योजना का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....  
(हिन्दी में) 1 ..... 2. ....  
(अंग्रेजी) 1 ..... 2. ....
3. पिता/पति का नाम 1. .... 2. ....
- 4 आयु 1. .... 2. .... (संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जायें)
5. पता (अ) वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु).....  
.....पिनकोड.....टेलीफोन नं०.....  
स्थायी पता.....  
.....पिनकोड.....टेलीफोन नं०.....  
ई-मेल.....
6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें).....  
आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है).....
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण  
बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....  
खाता नं०.....आई.एफ.एस.सी. कोड.....
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, दुर्बल आय वर्ग (ई.डबल्यू.एस.)/अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)  
पंजीकरण धनराशि ₹.....(शब्दों में).....  
बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....
9. आवेदक का व्यवसाय.....वार्षिक आय.....प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)
10. आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण—

आवेदक का  
नवीनतम फोटो  
अनिवार्य है।

आवेदक का  
नवीनतम फोटो  
अनिवार्य है।

नाम	आयु	सम्बन्ध
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
4. ....	.....	.....

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों का जो शासनादेश मैं दिए गए हैं को भली/भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। /हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर संलग्नक

नोट:— आधार व पैन की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

.....

.....

.....

.....

दिनांक .....

.....बैंक के प्रयोग हेतु.....

ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम/शाखा.....  
धनराशि ₹०.....विकासकर्ता कम्पनी के खाते में धनराशि जमा होने की तारीख.....

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु.....

पंजीकरण दिनांक.....आवंटित पंजीकरण संख्या.....आवंटित भवन संख्या.....

आवंटन पत्र संख्या.....एवं निर्गत होने की तिथि .....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

नाम स्पष्ट अक्षरों में.....

रू0 10/ के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)

## घोषणा – पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....उम्र.....वर्ष..  
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....  
.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:-

1. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण-पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूंगा/दूंगी।
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष.....में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय ₹...../- थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।
6. मैं एतद् द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन:-

मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रेशन अवधि – 17 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक मान्य)

## Garden City Lucknow

Specifications				
Sno.	Description	EWS	LIG	Height
<b>1</b>	<b>Rooms</b>			
	<b>Floor</b>	300X300 Ceramic Tile	300X300 Ceramic Tile	
	<b>Skirting</b>	White Wash over cement Plaster	300X300 Ceramic Tile	100 mm
	<b>Wall</b>	White Wash over cement Plaster	White Wash over cement Plaster	
	<b>Doors Frames and shutters</b>	MS Angle Frames and Flush Doors	MS Angle Frames and Flush Doors	
	<b>Window Frames and Shutters</b>	Pre Fabricated Z - Section Windows	Pre Fabricated Z -Section Windows	
<b>2</b>	<b>Kitchen</b>			
	<b>Floor</b>	300X300 Ceramic Tile	300X300 Ceramic Tile	
	<b>Skirting</b>	NIL	Ceramic Tile	100 mm
	<b>Counter</b>	CC finish	Kota Stone	
	<b>Dado Above Counter</b>	enamel paint	300X300 Ceramic Tile	600mm above counter
	<b>Wall</b>	White Wash over cement Plaster	White Wash over cement Plaster	
	<b>Doors Frames and shutters</b>	MS Angle Frames and Flush Doors	MS Angle Frames and Flush Doors	
	<b>Window Frames and Shutters</b>	Pre Fabricated Z - Section Windows	Pre Fabricated Z -Section Windows	
<b>3</b>	<b>Toilet</b>			
	<b>Floor</b>	300X300 Ceramic Tile	300X300 Ceramic Tile	
	<b>Skirting</b>	300X300 Ceramic Tile	300X300 Ceramic Tile	900mm High
	<b>Wall</b>	White Wash over cement Plaster	White Wash over cement Plaster	
	<b>Doors Frames and shutters</b>	MS Angle Frames and PVC Doors	MS Angle Frames and PVC Doors	
	<b>Window Frames and Shutters</b>	Pre Fabricated Z - Section Windows	Pre Fabricated Z -Section Windows	
<b>4</b>	<b>Bath Room</b>			
	<b>Floor</b>	300X300 Ceramic Tile	300X300 Ceramic Tile	
	<b>Dado</b>	300X300 Ceramic Tile	300X300 Ceramic Tile	900mm High
	<b>Wall</b>	White Wash over cement Plaster	White Wash over cement Plaster	
	<b>Doors Frames and shutters</b>	MS Angle Frames and PVC Doors	MS Angle Frames and PVC Doors	
	<b>Window Frames and Shutters</b>	Pre Fabricated Z - Section Windows	Pre Fabricated Z -Section Windows	
<b>5</b>	<b>Staircase</b>	IPS with angle edge protection.	IPS with angle edge protection.	
	<b>Skirting</b>	NIL	NIL	White Wash over cement Plaster
	<b>Wall</b>	White Wash over cement Plaster	White Wash over cement Plaster	
<b>5</b>	<b>Corridor</b>	IPS	IPS	
	<b>Wall</b>	White Wash over cement Plaster	White Wash over cement Plaster	
	<b>6External Paint</b>	Snowcem	Snowcem	

**DLF GARDEN CITY LUCKNOW  
EWS/LIG EXTERNAL VIEW**



**DLF GARDEN CITY LUCKNOW  
EWS/LIG MAIN GATE & FOOTPATH**



**DLF GARDEN CITY, LUCKNOW  
EWS DOOR AND WINDOW**



**DLF GARDEN CITY, LUCKNOW  
LIG/EWS -FRONT VIEW**



**DLF GARDEN CITY, LUCKNOW  
LIG INTERNAL ROAD VIEW (FRONT)**



**DLF GARDEN CITY, LUCKNOW  
LIG / EWS - ANOTHER VIEW**





DRAWING REALISED FOR

COMMENTS  TWEAK  REVISION



**AREA CHART**

SNO	ITEM	LENGTH	WIDTH	AREA
01.	BED ROOM	3.435	3.16	10.85 SQ.M
02.	LIVING	3.435	3.00	10.30 SQ.M
03.	KITCHEN	2.295	1.55	3.557 SQ.M
04.	BATH	1.130	1.80	2.034 SQ.M
05.	W.C.	1.05	0.9	0.945 SQ.M
06.	BALCONY	0.90	1.50	1.35 SQ.M



29.416




**DOOR & WINDOW SCHEDULE**

SNO.	TYPE	WIDTH	SILL	HEI	REMARK
01.	D1	900	-	2100	DOOR
02.	D2	750	-	2100	DOOR
03.	DW	1385	750	2100	DOOR
03.	W1	900	750	2100	WINDOW
04.	W2	750	1050	2100	WINDOW
05.	V1	500	1500	2100	VANTILATOR


KEY PLAN--



L1A (G+1) UNIT PLAN



10.02.2017 31.03.2017/31.03.2017  
20.01.2017 21.03.2017



**REVISIONS**

NO.	DESCRIPTION	DATE

**CLIENT:-**  
DLF  
DLF Commercial Mang.  
Floor: DLF 11001

**PROJECT:-** PROJECTED DWS & LBS BUILDING FOR RESIDENTIAL AT GARDEN CITY PUSAPALLE LUCKNOW, U.P.A. DISTRICT, U.P.

**DESIGNER:-** DLF GROUP

**DATE:** 20.01.2017

**SCALE:** 1:100

**PROJECT NO:** 6G

**DATE:** 21.03.2017

**PROJECTED BY:** DLF GROUP

**PROJECTED FOR:** DLF GROUP

**PROJECTED AT:** DLF GROUP

**PROJECTED IN:** DLF GROUP

**PROJECTED BY:** DLF GROUP

**PROJECTED FOR:** DLF GROUP

**PROJECTED AT:** DLF GROUP

**PROJECTED IN:** DLF GROUP

**DRAWING REALISED FOR**

Approved  Issues  Remarks

PROJECT - PROJECT NO. 19-58 ROBBERS ROAD, NEW DELHI

CLIENT - DLF

DATE - 19.08.19

**REVISIONS**

NO.	DATE	DESCRIPTION

**REMARKS**

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

2. ALL WALLS ARE 230mm THICK UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

3. ALL DOORS ARE 900mm HIGH AND 2100mm WIDE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

4. ALL WINDOWS ARE 2100mm HIGH AND 750mm WIDE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

5. ALL VENTILATORS ARE 1500mm HIGH AND 500mm WIDE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

**AREA CHART**

SNO.	ITEM	LENGTH	WIDTH	AREA
01.	ROOM	3.05	4.28	13.04 SQ.M.
02.	KITCHEN	2.0	1.20	2.40 SQ.M.
03.	BATH	1.385	1.20	1.66 SQ.M.
04.	W.C.	1.385	0.7	0.97 SQ.M.
05.	BALCONY	1.515	0.9	1.36 SQ.M.

**DOOR & WINDOW SCHEDULE**

SNO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARK
01.	D1	900	2100	DOOR
02.	D2	750	2100	DOOR
03.	W1	1000	750	WINDOW
04.	W2	600	1050	WINDOW
05.	V1	500	1500	VANTILATOR

**UNIT PLAN**  
(SCALE - 1:50)

(Balcony - 25.02 sqft / 2.31 sqm)  
(Carpet - 19.58 / 1.81 sqm)

**SECTION - YY**  
(SCALE - 1:50)

**CLIENT** - DLF

**PROJECT** - PROJECT NO. 19-58 ROBBERS ROAD, NEW DELHI


**DATE** - 19.08.19

**DRAWING TITLE** - UNIT PLAN

**SCALE** - 1:50

**DATE** - 19.08.19

Unit plan ✓





# डी.एल.एफ. लि.

## आंचलिक कार्यालय

माई पैड, बी-2 टावर, द्वितीय तल, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ - 226010

## कॉर्पोरेट कार्यालय

डी.एल.एफ. सेन्टर, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

CIN No.- L70101HR1963PLC002484

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें: **+91 91673 36633**

**Disclaimer:** All images are actual images of EWS LIG-DLF Garden City-Lucknow and its neighbourhood unless mentioned otherwise, subject to changes with passage of time. The present content on the brochure / advertisement / promotional document regarding the project and in respect of the apartments, plot or building, and project layout, area, amenities, services, terms of sale and other relevant terms, are based on the approved and sanctioned plans subject to any modification and change in consonance with relevant laws or as directed by the Authorities. The Company endeavours to keep the information up to date and correct, but makes no representation or warranty is made or intended as to the accuracy or completeness of information and no commitments are being given under this brochure / advertisement / promotional document as to its suitability or adequacy for any purpose or otherwise. All layouts, plans, specifications, dimensions, designs, measurements and locations are actual, however the same are not to scale." 1. Residential Plot measuring about 22509.14 square meter. 2. RERA registration No. UPRERAPRJ6396 - dated 31-07-2017 3. License No. 618/Ni-Pra-/31/2016 – dated 09-03-2017 4. Name of company to whom the licenses have been granted to DLF Limited 5. Name of Development "EWS LIG DLF Garden City Lucknow" being developed by DLF Limited. 6. Layout Plan approval vide 618/Ni-Pra-/31/2016 – dated 09-03-2017 7. Building plan approval vide 618/Ni-Pra-/31/2016 – dated 09-03-2017 8. Revised layout plan vide - N/A – work completed OC obtained 9. Revised Building Plan vide - N/A – work completed OC obtained 10. Completion Certificate from "Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad" vide 1159/Va-Ni-7/DLF-Completion-part -5, dated 04-06-2020 11. Any other approval - Fire NOC – Vide letter no – UPFS/2019/11769/LCK/LUCKNOW/751/CFO – dated – 21-09-2019 Conversion scale: 1ft = 304.8 mm